उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-41/953/एक-1-2016-1(21)/2016

लखनऊः दिनॉंकः 29 जुलाई, 2016

<u>अधिसूचना</u>

जिलाधिकारी, बहराइच के पत्र संख्या-1683/भू0व्य0-बाहर-ए/2015, दिनॉंक 09.11.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि नवसृजित तहसील पयागपुर के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु संयुक्त रूप से एक ही स्थान पर ग्राम सभा की 05 एकड़ भूमि उपलब्ध नहीं है। ग्राम पयागपुर में जूनियर हाईस्कूल के नाम अंकित गाटा संख्या 2019 रकबा 3.901 हे0 भूमि उपलब्ध है। यह भूमि सुरक्षा आदि के दृष्टिकोण से भी ठीक है। जूनियर हाईस्कूल का भवन गाटा संख्या 2392 रकबा 1.388 हे0 में निर्मित है, गाटा संख्या 2019 रकबा 3.901 हे0 में विद्यालय द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच के पत्रांक बेसिक-शिक्षा/2082-84/2016-17, दिनॉंक 17.06.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि जूनियर हाईस्कूल, पयागपुर के भवन का गाटा संख्या 2392 रकबा 1.388 हे0 प्रस्तावित भूमि गाटा संख्या 2019 रकबा 3.901 हे0 से अलग है। अतः तहसील भवन के निर्माण से उच्च प्राथमिक विद्यालय के संचालन, शिक्षण व्यवस्था अथवा प्रागंण एवं शैक्षिक परिवेश पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. जिलाधिकारी, बहराइच के प्रस्ताव से स्पष्ट है कि नवसृजित तहसील पयागपुर के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में निहित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पांच) तथा (छः) में वर्णित संयुक्त रूप से एक ही स्थान पर भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम पयागपुर परगना, तहसील व जनपद बहराइच स्थित गाटा संख्या 2019 रकबा 3.901 हे0 जूनियर हाईस्कूल की भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर, उक्त भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति नवसृजित तहसील पयागपुर के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु कलेक्टर, बहराइच के निवर्तन पर रखते है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जूनियर हाईस्कूल, पयागपुर के भवन का गाटा संख्या 2392 रकबा 1.388 हे0, नवसृजित तहसील पयागपुर के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि गाटा संख्या 2019 रकबा 3.901 हे0 से अलग है। अतः तहसील भवन के निर्माण से उच्च प्राथमिक विद्यालय के संचालन, शिक्षण व्यवस्था अथवा प्रागंण एवं शैक्षिक परिवेश पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः इसके लिये विनिमय की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तहसील भवन के निर्माण से उच्च प्राथमिक विद्यालय के संचालन, शिक्षा व्यवस्था एवं शैक्षिक परिवेश पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

shasnadesh.up.nic.in

-2-

3. कलेक्टर, बहराइच द्वारा इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं राजस्व अनुभाग-1/राजस्व अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4. कलेक्टर, बहराइच को आदेशित किया जाता है कि जूनियर हाई स्कूल भूमि के श्रेणी परिवर्तन को अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में सुनिश्चित की जायेगी।

5. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 से शासित जूनियर हाई स्कूल की भूमि गाटा संख्या 2019 रकबा 3.901 हे0 का पुनर्ग्रहण नि:शुल्क किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि कलेक्टर, बहराइच के निवर्तन पर रखी जायेगी।

6. उक्त पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग नवसृजित तहसील पयागपुर के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु ही किया जायेगा। अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

7. उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन कलेक्टर, बहराइच द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

संख्या-953(1)/एक-1-2016-1(21)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त देवीपाटन मण्डल, गोण्डा ।
4. कलेक्टर, बहराइच के पत्र संख्या-1683/भू0व्य0-बाहर-ए/2015, दिनॉक 09.11.2015 के क्रम में।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच।
6. राजस्व अनुभाग-5
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

shasnadesh.up.nic.in

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in